

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक -

प्रकरण क्रमांक -SM-EXA-2026-03508

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध "अरण्य सिटी ऑफ वूडलैण्ड चटौद", प्रमोटर-अरण्य रियल एस्टेट प्रा.लि., द्वारा-श्री बुद्धेश्वर वर्मा, पता-एस.एफ-38, समवेत शिखर, रजबंधा मैदान, जिला-रायपुर (छ.ग.)

प्रोजेक्ट-"अरण्य सिटी ऑफ वूडलैण्ड चटौद" पता-चटौद, जिला-रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
14/05/2026	<p>- प्रकरण प्रस्तुत।</p> <p>- प्राधिकरण द्वारा दिनांक 26.02.2026 को अनावेदक के विरुद्ध रूपये 5,000/- की शास्ति अधिरोपित की गई थी, जिसे अनावेदक द्वारा चालान के माध्यम से दिनांक 07.03.2026 को निर्धारित शासकीय मद में जमा कर चालान की मूल प्रति प्रस्तुत किया गया है। प्राधिकरण द्वारा प्रोजेक्ट पंजीयन की विस्तारण तिथि 17.01.2025 से 16.01.2027 तक प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर जारी किया गया है। अतः प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने के कारण समाप्त किया जाता है।</p> <p>- आदेश की प्रति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की जावे।</p> <p>- प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ में दाखिल किया जावे।</p> <p>सही/- (धनंजय देवांगन) सदस्य</p> <p>सही/- (संजय शुक्ला) अध्यक्ष</p>	